संख्या–बी0एस0डी0एम0/एस0डी0आई0–25/2016– 748
बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

सभी कुशल युवा कार्यक्रम के संचालक एजेंसी ।

पटना, दिनांक– 29/06/2019

विषयः– **कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित अनुदेश ।**

महाशय,

राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्रों का विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण में कतिपय त्रुटियाँ पायी जाती है, जिसके आधार पर इन केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से आदेश निर्गत किये जाते हैं । बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्षद की दिनांक–10.6.2019 को संपन्न बैठक में प्रमाणित आरोप के लिए दण्ड अधिरोपित किये जाने बिन्दु पर विचार–विमर्श किया गया तथा विमर्शोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1. कुशल युवा कार्यक्रम के फाईनल परीक्षा में कदाचार के प्रमाणित आरोपों के लिए केन्द्र को स्थायी रूप से बंद किया जायेगा तथा पोर्टल से ऐसे केन्द्रों के पंजीकरण को रद्द कर दिया जायेगा ।
2. कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में यदि किसी केन्द्र पर CC TV Camera/IP Based CC TV Camera उपलब्ध नहीं पाया जाता है, या एक सप्ताह से ज्यादा से खराब पाया जाता है तो ऐसे केन्द्रों को उस माह में भुगतान होने वाली राशि से 30% की कटौती कर ली जायेगी तथा उन्हें एक सप्ताह के भीतर CC TV Camera/IP Based CC TV Camera को ठीक कराने का निदेश दिया जायेगा । यदि एक सप्ताह के पश्चात भी CC TV Camera/IP Based CC TV Camera को ठीक नहीं कराया जाता है तो पुनः उनकी अतिरिक्त 30% की राशि अर्थात कुल 60% की राशि की कटौती कर ली जायेगी । इसके पश्चात भी यदि एजेंसी के द्वारा CC TV Camera/IP Based CC TV Camera को ठीक नहीं कराया जाता है तो ऐसे केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तबतक अवरूद्ध रखा जायेगा, जबतक उस केन्द्र के द्वारा CC TV Camera के त्रुटि को ठीक नहीं करा लिया जाता है ।
3. किसी केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में यदि उस केन्द्र पर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम या हेड फोन खराब पाये जाते हैं तो निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा केन्द्र संचालक को एक सप्ताह के भीतर इन त्रुटियों के निराकरण का निदेश निरीक्षण पंजी में दिया जायेगा । यदि एक सप्ताह के भीतर इन त्रुटियों का निराकरण नहीं होता है तो ऐसे केन्द्रों से उनके उस माह के भुगतान होने वाली राशि से 30% की कटौती कर ली जायेगी तथा पुनः तीन दिनों के पश्चात उस केन्द्र की जाँच की जायेगी तथा त्रुटि का निराकरण नहीं पाये जाने की स्थिति में अतिरिक्त 30% की राशि उनके उस माह के Invoice

से कटौती की जायेगी, उसके बाद भी तीन दिनों तक त्रुटियों के निराकरण नहीं होने की स्थिति में -ऐसे केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को तबतक अवरुद्ध रखा जायेगा जबतक ऐसी त्रुटियों का निराकरण नहीं हो जाता है ।

4. Cliker activity के लिए यदि किसी केन्द्र पर 20 Android mobile phone उपलब्ध नहीं है तो निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण पंजी में 7 दिनों के अंदर केन्द्र संचालक को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया जायेगा । यदि 7 दिनों के भीतर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ऐसे केन्द्रों के उस माह के Invoice से 30% की राशि की कटौती कर ली जायेगी, तथा जबतक 20 Android phone की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती है तबतक प्रत्येक माह में भुगतान होने वाली राशि से 30% की कटौती की जाती रहेगी ।
5. निरीक्षण के क्रम में यदि किसी केन्द्र पर Power backup या Online UPS की उपलब्धता नहीं पायी जाती है, तो निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण पंजी में 7 दिनों के अंदर Power backup की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया जायेगा । यदि एक सप्ताह के पश्चात भी Power backup की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ऐसे केन्द्रों को भुगतान होने वाली राशि से प्रत्येक माह 30% की राशि तबतक कटौती की जाती रहेगी, जबतक की Power backup की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती है ।
6. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अवकाश का कैलेण्डर निर्धारित है तथा सभी केन्द्र संचालक को इसे कैलेण्डर वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व हीं परिचारित कर दिया जाता है । यदि कोई केन्द्र बिना किसी सूचना के तथा बिना किसी वैध कारण से बंद पाया जाता है तो ऐसे केन्द्रों से भुगतान होने वाली उस माह की राशि से 30% की राशि की कटौती की जायेगी । यदि केन्द्र एक सप्ताह से ज्यादा से बंद है तो ऐसे केन्द्रों से 40% की राशि कटौती की जायेगी तथा यदि कोई केन्द्र बिना किसी सूचना तथा बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक से बंद पाया जाता है तो ऐसे केन्द्रों को स्थायी रुप से बंद करने तथा उनके पंजीकरण को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।
7. यदि किसी केन्द्र संचालक के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए बिना बिहार कौशल विकास मिशन की अनुमति के केन्द्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर लिया जाता है, तो ऐसे केन्द्रों को भुगतान किये जाने वाली राशि से 30% की राशि की कटौती तबतक की जाती रहेगी, जबतक ऐसे केन्द्रों को पुनः बिहार कौशल विकास मिशन के मानकों के अनुरुप स्थापित नहीं कर दिया जाता है।
8. कुशल युवा के प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में यदि किसी केन्द्र पर एक हीं Learning facilitator उपस्थित पाये जाते हैं तो ऐसे केन्द्रों से स्पष्टीकरण पूछकर उनके उस माह के Invoice से 30% की राशि की कटौती कर ली जायेगी ।
9. कुशल युवा कार्यक्रम में केन्द्र संचालकों के द्वारा किसी भी बैच के One time extention के लिए अनुरोध किया जाता है तथा इस अनुरोध के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किसी बैच को One time extention की स्वीकृति प्रदान की जाती है । समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया जा रहा है कि One time extention के अनुरोध वाले केन्द्रों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कुछ प्रशिक्षणार्थियों को यदि अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने में सहूलियत होती है तो कुछ प्रशिक्षणार्थियों को अनावश्यक एक माह तक परीक्षा में सम्मलित होने का इंतजार करना पड़ता है । उक्त के आलोक में अब किसी भी केन्द्र को एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार हीं किसी बैच के Extention की स्वीकृति निःशुल्क प्रदान की जायेगी । इस एक बार के पश्चात यदि किसी भी केन्द्र के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति अर्थात प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सम्प्रदायिक तनाव, विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या की स्थिति

को छोड़कर यदि उनके द्वारा किसी बैच के Extention का अनुरोध किया जाता है तो उनके इस बैच के भुगतान होने वाली राशि से 5% राशि की कटौती करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा आने वाले इस कैलेण्डर वर्ष में वैसे केन्द्रों के द्वारा जितने बार भी Extention का अनुरोध किया जायेगा, उतनी बार उस बैच के लिए भुगतान होने वाली राशि से 5% की राशि की कटौती करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।

10. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा Franchisee mode में केन्द्रों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसके लिए केन्द्रों से शपथ पत्र भी प्राप्त किया गया है । SDC के मामले में Revenue sharining तथा Infrastructure setup किये जाने तथा Revenue sharing का लिखित एकरारनामा पाये जाने की स्थिति में वैसे केन्द्रों को Franchisee partner के साथ विनियमित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. यदि एर्जेसी का चयन खुली निविदा/RFP के माध्यम से किया गया है तथा इसके लिए कोई Turn over निर्धारित है तथा एर्जेसी के द्वारा यदि बिहार कौशल विकास मिशन के साथ यह एकरारनामा हस्ताक्षरित है कि वे अपने केन्द्रों का संचालन स्वयं करेंगे तथा वे ऐसे केन्द्रों को Franchisee mode में संचालित नहीं करेंगे तो ऐसे मामलों में एकरारनामा की अवहेलना करने वाले एर्जेसी के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा तथा वैसी एर्जेसी को तीन वर्षो तक बिहार कौशल विकास मिशन के साथ कार्य करने तथा बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी ।

12. उपर्युक्त अंकित मामलों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता या Impersonation का मामला प्रतिवेदित होने या पाये जाने की स्थिति में संबंधित एर्जेसी के विरूद्ध विधि सम्मत कोई भी निर्णय लेने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्राधिकृत होंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित दिशा निर्देशों का अपने केन्द्र पर दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । भविष्य में कुशल युवा कार्यक्रम के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण उपर्युक्त अंकित दिशा निदेश के आधार पर हीं किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

29/4/15

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।